तारीख हुक्म	हुक्म या काय[illegible] मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से प्रकरण के बिन्दुओं को दोहराते हुवे कहा गया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम टालीवाला तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 87 तादादी 36.10 बीघा संयुक्त खातेदारी भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी यारू खां, गुलाम फरीद, साहु खां, पि0 फतेह मोहम्मद का 503/504 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था। गुलाम फरीद ने अपना हिस्सा ने अपना हिस्सा गिफटडीड दिनांक 27.04.2017 को अनारा पुत्री फरीद के पक्ष में किया। उक्त का इन्तकाल संख्या 1000 दिनांक 11.05.2017 दर्ज हुआ। जिसमें प्रार्थी यारू खां व साहु खां पि0 फतेह मोहम्मद का 506/1512 हिस्सा रिकॉर्ड में भूलवंश से दर्ज हो गया व नूरबी के स्थान पर नूरनबी दर्ज हो गया। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मौजा रोही टालीवाला के खेत खसरा नम्बर 87 तादादी 36 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी यारू खां व साहु खां पि0 फतेह मोहम्मद का राजस्व रिकॉर्ड में 506/1512 के स्थान पर 1006/1512 हिस्सा शुद्ध करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया की उक्त प्रार्थना पत्र हिस्सा दुरूस्ती एवं नाम दुरूस्ती का पेश किया गया है किन्तु नाम दुरूस्ती बाबत सम्बन्धित पक्षकार अपना पक्ष रखने एवं सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत हाजिर नहीं है अतः उक्त पत्रावली में केवल मात्र हिस्सा दुरूस्ती का आदेश फरमाने बाबत निवेदन किया गया। पैरोकार राज द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना में ईन्तकाल में गलती को सक्षम न्यायालय में दुरूस्ती योग्य माना हैं । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो सरकार को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना कहा गया। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2072–2075, तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर जवाब प्रार्थना–पत्र व रिपोर्ट पटवारी जैतपुर बी का अवलोकन किया । उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी यारू खां व साहु खॉ का हिस्सा का भूलवंश गलत अंकन हुआ है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है । मौजा रोही टालीवाला के खेत खसरा नम्बर 87 तादादी 36 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी यारू खां व साहुखां पि0 फतेह मोहम्मद का राजस्व रिकॉर्ड में 506/1512 के स्थान पर 1006/1512 हिस्सा दुरूस्ती के निर्देश तहसीलदार लूनकरनसर को दिये जाते है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:37:59 IST
Reason: SelfAttested